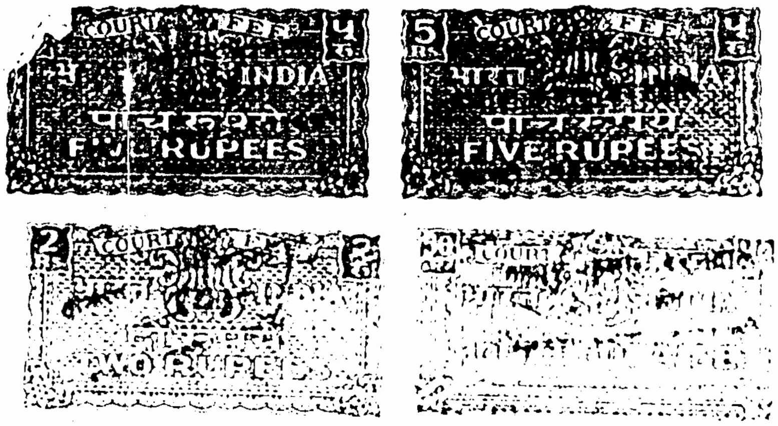

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिए जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

[illegible] 47-ए, आई०ए०एस० [illegible]

सरकार [illegible] बनाम भारत कोकाकोला कम्पनी

आदेश

[illegible] वाराणसी के तहसील [illegible] राजा में [illegible] ग्राम मेंहदीगंज [illegible], 2662, 2663, 2664, 2631, 2632, [illegible], 2637, 2641, [illegible], 2637 कुल रकबा 6.00 एकड़ में शीतल पेय [illegible] है, [illegible] स्वामी [illegible] बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड [illegible] और उन्होंने दिनांक 3/9/98 से [illegible] एग्रीमेन्ट से [illegible] 10/2/[illegible] को [illegible] के [illegible] भारत कोकाकोला [illegible] मार्केटिंग प्राइवेट कम्पनी [illegible] दिनांक 10/2/99 के [illegible] [illegible] को [illegible] ।

[illegible] दिनांक [illegible] के अनुसार [illegible] में कुल [illegible] 2661, 2662, 2663, 2664, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2637, [illegible], 2640 एवं 2687 कुल रकबा 6.[illegible] अंकित 6,00,00,000/- [illegible] 6,50,00,000/- दर्शाया गया है। [illegible] कुल [illegible] दर्शाया [illegible] है परन्तु किस प्रकार का निर्माण है किसमें [illegible] स्पष्ट नहीं है और [illegible] मशीनरी का कोई वर्णन नहीं किया गया है।

श्री राजनाथ पाण्डेय पूर्व सचिव, उ०प्र० कांग्रेस कमेटी(ई), लखनऊ का [illegible] शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 25/4/2001 को प्राप्त हुआ जिसमें यह शिकायत की गई है कि ग्राम मेंहदीगंज, परगना कुलवार राजा तहसील व जिला वाराणसी [illegible] शीतल पेय बनाने वाली कम्पनी द्वारा भूमि भवन, एवं व्यवसाय की दिनांक 11 फरवरी/19 फरवरी, 1999 को [illegible] गंगापुर कार्यालय से [illegible] कराई गई [illegible] लगभग [illegible] 52 लाख [illegible] शुल्क अदा किया गया था [illegible] कम्पनी द्वारा करोड़ों रुपयों की [illegible] चोरी की गई है। उक्त कम्पनी [illegible] जिला उद्योग केन्द्र में [illegible] एस०एस०आई० लेने के लिए 31,83,82,651/- में क्रय होना बताया है।

शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थना-पत्र के आलोक में उप निबन्धक गंगापुर से स्थलीय जांच कर आख्या मांगी गई। उप निबन्धक गंगापुर ने अपनी स्थलीय जांच आख्या दिनांक 26/6/2001 [illegible] प्रस्तुत किया है और [illegible] की [illegible] प्रति भी संलग्न किया है।

उप निबन्धक गंगापुर की [illegible] के [illegible] नियमानुसार स्टाम्प वाद दर्ज कर सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी की गई और न्यायालय के पत्र सं० 8/स्टा०वि०-2001 दिनांक 28/4/2001 द्वारा भारत कोकाकोला कम्पनी को नोटिस के क्रम में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

नोटिस प्राप्ति के उपरान्त क्रेता कम्पनी द्वारा अपनी लिखित [illegible] आपत्ति दिनांक 26/10/2002 को दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि [illegible] दिनांक [illegible]/2001 [illegible] [illegible] को प्राप्त हुई जिसमें कहा गया है कि कम्पनी द्वारा [illegible] जिला उद्योग केन्द्र में व्यापार कर के सम्बन्ध में दाखिल किए गए हैं जिसमें उक्त कम्पनी की मालियत 31,83,82,651/- दर्शाया गया है। आपत्तिकर्ता [illegible] के सिलसिले में [illegible] दिनांक [illegible] ए०डी०एम० [illegible] प्र०वि० के साथ किया था। [illegible] मेंहदीगंज [illegible] को [illegible] ।

[illegible] सम्बन्धित [illegible]/प्लांट

का निर्माण भी तत्समय चल रहा था जिसमें से केवल भूमि एवं भवन लिया गया है जो मात्र 6 करोड़ रुपये की मालियत दर्शाते हुए दिनांक 10/2/99 को रजिस्टर्ड कराया गया है जिसमें भूमि की कीमत 2 करोड़ एवं भवन की कीमत 4 करोड़ दर्शाया गया है। आपत्तिकर्ता की कम्पनी ने कुल 6.38 एकड़ भूमि क्रमशः खसरा सं0 2461, 2462, 2464, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2637, 2642, 2643, व 2687 स्थित मौजा मेंहदीगंज, परगना कसवार राजा, राजातालाब वाराणसी क्रय किया है। उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति की कीमत 6 करोड़ रुपया कम्पनी द्वारा अदा किया गया है और इस पर 52 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी अदा किया गया है। सम्पत्ति का मूल्यांकन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार किया गया है। क्रय के समय अर्धनिर्मित भवन जिसका विवरण परिशिष्ट-2 में अंकित है प्राप्त किया था और बाद में आपत्तिकर्ता की कम्पनी द्वारा अर्धनिर्मित भवन का निर्माण पूरा कराया गया है तथा सम्पत्ति क्रय करने के उपरान्त मशीनों आदि को लगाया है। आपत्तिकर्ता कम्पनी ने उक्त फैक्टरी क्रय करने के बाद उसके निर्माण और निर्माण को ठीक कराने में काफी धनराशि व्यय किया है साथ ही प्लान्ट की व्यवस्था एवं मशीनों की व्यवस्था में भी काफी धनराशि व्यय किया है और कम्पनी का उत्पादन 1/6/99 से प्रारम्भ किया गया है। कम्पनी द्वारा जो 31,83,82,651/- की धनराशि जिला उद्योग केन्द्र में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए दर्शाया गया था जो क्रयशुदा सम्पत्ति की मालियत नहीं थी। नोटिस में 31,83,82,651/- की मालियत दिखाया जाना बिल्कुल गलत एवं तथ्यों के विपरीत है। लेखपत्र के माध्यम से मात्र भूमि एवं भवन का हस्तान्तरण किया गया है जिस पर सर्किल रेट के अनुसार 52लाख का स्टाम्प अदा किया गया है। आपत्तिकर्ता को भेजी गई नोटिस बिल्कुल गलत निराधार और भा0स्टा0अधि0 के प्राविधानों के विपरीत हैं। अन्त में अनुरोध किया है कि स्टाम्प कमी से सम्बंधित निर्गत नोटिस समाप्त की जाय। आपत्तिकर्ता अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं :-

1- शपथ-पत्र दिनांक 24/1/2003

2- दिनांक 20/1/99 को एडजुडिकेशन सम्बन्धी कलेक्टर वाराणसी को प्रेषित पत्र की छायाप्रति।

3- गोयल एण्ड एसो0 पंजीकृत वेल्युअर होने का प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग के आयकर आयुक्त का प्रमाण-पत्र

4- उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के प्रवृत्त होने के उपरान्त औद्योगिकीकरण के लिए भूमि के मूल्यांकन पर स्टाम्प के दरों का निर्धारण विषयक प्रमुख सचिव, कर एवं संस्थागत वित्त विभाग उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 क0सं0वि0-5-3090/11-97 दिनांक 20 सितम्बर, 1997 की छायाप्रति

5- सर्किल रेट 1997-98 की छाया प्रति।

6- जाल फ्रेड (इण्डिया) प्रा0लि0 के मूल्यांकन रिपोर्ट की छायाप्रति।

प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार सदर से भी मौके की जाँच आख्या प्राप्त की गई तहसीलदार ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 16/12/2002 प्रस्तुत किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार सदर ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत किया है कि कोका कोला कम्पनी के बाउन्ड्री के अन्दर बने निर्माण की पैमाइश की गई। ग्राम मेंहदीगंज के आ0सं0 मि0 2634 रकबा 0-089 हे0 व पंकरोड़ मं0 मि0 2636 रकबा 0-016 व मि0 2641 रकबा 0-008 तथा 2464 मि0 रकबा 0-010 योग 4 गाटा रकबा 0-121 हे0 से लेकर अपनी भूमि आ0सं0 2632 रकबा -020 व 2633 रकबा 0-016 तथा 2635 रकबा 0-020 मि0 2461 रकबा -065 योग 4 गाटा रकबा 0-121 हे0 ग्राम मेंहदीगंज से ट्रान्सफर की गई है किन्तु मौके पर 2634 मि0 रकबा 0-089 हे0 के बजाय 0-097 हे0 यानी 0-008 हे0 रकबा अधिक घेर लिया गया है। इस प्रकार कोकाकोला फैक्टरी ट्रान्सफर के बाद भूमि 0-121 + 0-008 = 0-129 हे0 ग्रामसभा

की जमीन पर आज भी कोकाकोला फैक्टरी का अनाधिकृत कब्जा व निर्माण है । तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट के साथ नक्शा नजरी, उद्धरण खतौनी 1407 ता0 1412 फ0 मौजा मेंहदीगंज, उद्धरण खसरा 1410 फ0, उद्धरण खतौनी 1407 लगायत 1412 फ0 बाबत चकमार्ग व नाली प्रस्तुत किये है ।

इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्ता कम्पनी की ओर से लिखित बहस दिनांक 28/1/2005 को दाखिल किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि दिनांक 10/2/99 को आपत्तिकर्ता कम्पनी ने प्रश्नगत भूमि एवं भवन अर्धनिर्मित रूप में 6 करोड़ में क्रय किया था जिसमें 2 करोड़ जमीन की कीमत तथा 4 करोड़ भवन की कीमत मानते हुए 52,00000/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया है । न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस दिनांक 28/[illegible]/2001 पर आपत्तिकर्ता कम्पनी की ओर से आपत्ति दाखिल किया गया था कि वह मात्र भूमि एवं अर्धनिर्मित भवन सर्किल रेट के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा करते हुए क्रय किया है और कम्पनी का बैलेन्स-शीट भी भूमि एवं भवन के बाबत दाखिल किया था । रू0 51, 85, 82, [illegible] की जो धनराशि दर्शाई गई है वह सम्पत्ति क्रय करने के बाद उसमें व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि है जिसमें मशीनों आदि की कीमत भी दर्शाई गई है जो सम्पत्ति क्रय करने के उपरान्त क्रयकर्ता के लगाई गई हैं । कम्पनी ने सम्पत्ति क्रय करने के पूर्व कलेक्टर के समक्ष एडजुडिकेशन का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु वैल्युयेशन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई जब कि कम्पनी ने जानफोर्ड। एशिया। प्रा0लि0 के पंजीकृत वैल्युअर एवं गोयल एण्ड एसोसियेट गवर्नमेन्ट अप्रूव्ड रजिस्टर्ड वैलुअर की रिपोर्ट दाखिल किया था । न्यायालय द्वारा जारी नोटिस बिल्कुल गलत एवं निराधार है और नोटिस के आधार पर जो कार्यवाही प्रारम्भ की गई है वह बिल्कुल गलत है और निरस्त किए जाने योग्य है । [illegible] के लिए न्यायालय के पास कोई आधार नहीं है कि क्रेता कम्पनी द्वारा सर्किल रेट से कम स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है । बिना किसी [illegible] एवं आधार के कम स्टाम्प अदा करने का [illegible] विधिक नहीं है और स्टाम्प कमी लगाया जाना तथा अर्थदण्ड लगाए जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है । अतः नोटिस दिनांक 28/[illegible]/01 निरस्त किया जाय ।

मैंने विभाग के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया । जैसा कि लेख। दिनांक 10/2/99 से स्पष्ट है कि यह फैक्टरी निर्माणाधीन थी और इसका हस्तान्तरण विलेखपत्र सं0 243 दिनांक 10/2/99 के माध्यम से भारत कोकाकोला कम्पनी को हुआ है और हस्तान्तरण के लगभग 4 माह बाद जून 1999 से फैक्टरी का उत्पादन प्रारम्भ हुआ । इस फैक्टरी का मूल्यांकन करते समय यह देखना होगा कि विक्रय विलेख निष्पादित करने की तिथि पर फक्टरी की क्या स्थिति रही । सर्व प्रथम विक्रीत सम्पत्ति/ फैक्टरी की भूमि का मूल्यांकन होना है । इस सम्बन्ध में तहसीलदार सदर से रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार सदर ने अपनी आख्या दिनांक 16/12/2002 में लिखा है कि ग्रामसभा मेंहदीगंज के आ0सं0 मि0 2634/-089हे0, मि0 2636/ 0-014 व मि0 2641/-008 तथा 2464/-010 योग 4 गाटा रकबा 0-121हे0 लेकर अपनी भूमि आ0सं0 2632/-020, 2633/-016, 2635/-020 व 2461/-065 हे0 कुल 4 गाटा रकबा 0-121 हे0 गांवसभा मेंहदीगंज से तबादला लिया गया है लेकिन मौके पर फैक्टरी ने 2634 मि0 रकबा -089 हे0 के बजाय -097 हे0 अर्थात -008 हे0 भूमि गांवसभा की अधिक घेर लिया है जिस पर फैक्टरी का अवैध कब्जा चला आ रहा है । अवैध कब्जे पर स्टाम्पदेयता नहीं बनती है अवैध कब्जा हटाने के लिए अलग कार्यवाही हो सकती है । विक्रय विलेख पत्र के शेड्यूल -1 में भूमि का वर्णन किया गया है।

(क)- भूमि [illegible] मूल्यांकन [illegible]

1- गोयल [illegible] रिपोर्ट [illegible] भूमि [illegible] मूल्यांकन 1,53,[illegible] दर्शाया गया [illegible]

2- सम्भागीय [illegible] रिपोर्ट [illegible] [illegible] नहीं [illegible] है ।

3- तहसीलदार [illegible] द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भूमि का कोई मूल्यांकन नहीं दिखाया गया है । मात्र [illegible] करने की बात कही गई है ।

4- रेट लिस्ट वर्ष 1998 में मौजा [illegible] के लिए कोई व्यावसायिक दर नहीं दर्शाया गया है केवल आवासीय दर दर्शाया गया है जो अधिकतम रेट है और जिसके अनुसार कुल भूमि का मूल्यांकन 1,53,04,806/- होता है ।

इस प्रकार क्रेता कम्पनी ने विलेख पत्र में भूमि 6.89 एकड़ का जो मूल्यांकन 2 करोड़ दर्शाया है वह [illegible] रेट से अधिक है । अतः क्रेता कम्पनी द्वारा भूमि के सम्बन्ध में दिया गया मूल्यांकन स्वीकार किया जाता है ।

(ख)- दूसरा तथ्य [illegible] निर्माण [illegible] है जिसमें निम्नलिखित [illegible] :

1- गोयल एण्ड [illegible] की रिपोर्ट में [illegible] निर्माण की कुल कीमत/मूल्यांकन नहीं दर्शाया गया है ।

2- [illegible] की रिपोर्ट में [illegible] मूल्यांकन [illegible] दर्शाया गया है ।

3- विलेख [illegible]
[illegible] में [illegible] दर्शाया [illegible] है ।

4- उप [illegible] की रिपोर्ट में निर्माण कार्य [illegible] दर्शाया गया है और [illegible] रेट लिस्ट के अनुसार निर्माण [illegible] दर 2,27,62,[illegible]/- [illegible] है ।

5- कम्पनी द्वारा [illegible] प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को आधार [illegible] जो विवरण प्रस्तुत किया गया [illegible] आधार पर जिला उद्योग केन्द्र ने दिनांक 20/[illegible]/2002 को [illegible] अपनी [illegible] में [illegible] निर्माण की कुल लागत 9.14 करोड़ दर्शाया है

(ग)- फैक्ट्री में स्थित मशीनरी के सम्बन्ध में निम्नलिखित अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध हैं :-

1- विलेख पत्र [illegible] मशीनरी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

2- कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मशीनरी चल सम्पत्ति है इसलिए इस पर कोई [illegible] देयता नहीं बनती है । इसके अलावा यह भी कथन है कि जिस समय फैक्ट्री [illegible] की गई उस समय मशीने नहीं लगी थी ।

3- [illegible] यह भी [illegible] कि उनके द्वारा स्वयं ही एडजुडिकेशन के लिए [illegible] के समक्ष प्रार्थना-पत्र दिया गया था कि इस सम्पत्ति पर कितना स्टाम्प देयता बनती है किन्तु उसका निस्तारण नहीं हुआ । इस प्रकार कोई तथ्य [illegible] में नहीं छिपाया गया है । एडजुडिकेशन का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28/1/99 को प्रस्तुत किया गया है और बैनामा दिनांक 10/2/99 को कराया गया है । इस प्रकार 14-15 दिन के अन्दर एडजुडिकेशन पर निर्णय लेने हेतु पर्याप्त समय नहीं माना जा सकता है । क्रेता द्वारा मात्र औपचारिकतावश एडजुडिकेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना [illegible] है । इस प्रकार मात्र प्रार्थना-पत्र दे देने से यह साबित नहीं होता है [illegible] प्रार्थना पूरी की गई हो ।

4- क्रेता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जिस समय फैक्ट्री क्रय की गई थी उस समय फैक्ट्री [illegible] बैनामा दिनांक 10/2/99 को हुआ और फैक्ट्री दिनांक [illegible] हुई है [illegible] कि क्रेता कम्पनी ने अपने कथन में स्वतः स्वीकार किया है । विलेख पत्र निष्पादन एवं फैक्ट्री के चलने में मात्र [illegible] का [illegible] गया है । इतने कम समय में किसी फैक्ट्री का [illegible] स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता है क्योंकि मशीनरी लगाने और उत्पादन शुरू करने में काफी [illegible] है । कम से कम दो माह का समय तो हालत में ही

लग जाएगा । इस प्रकार [illegible] में फैक्टरी शुरू होने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है ।

5- विलेख पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि "जहां है जैसे है" क्रय किया जा रहा है । इन सभी बातों से स्पष्ट है कि फैक्टरी क्रय करने के समय मशीनरी पहले से फिट थी और उसके बाद कुछ मशीने [illegible] लगाई गई हैं । इस [illegible] में निम्न [illegible] हैं :-

1- [illegible] ।

2- [illegible] नहीं [illegible] है ।

3- [illegible] मशीनरी का मूल्यांकन 13 करोड़ दर्शित [illegible] । यह मूल्यांकन एग्रीमेन्ट के पूर्व [illegible] ।

4- [illegible] है ।

5- क्रेता कम्पनी ने मशीनरी [illegible] 12.52 करोड़ दर्शाया है ।

इस प्रकार एग्रीमेन्ट की तिथि 3/7/78 को क्रेता कम्पनी ने [illegible] पा0लि0 की रिपोर्ट के अनुसार मशीनरी की कुल मूल्यांकन 13 करोड़ रुपया दर्शाया है लेकिन एग्रीमेन्ट की [illegible] फैक्टरी प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात 3/7/78 से 1/6/79 [illegible] और जो मशीनरी लगाई गई है 12.52 करोड़ कीमत दर्शाया गया है । [illegible] स्पष्ट है कि एग्रीमेन्ट की तिथि 3/7/78 और फैक्टरी शुरू होने की तिथि 1/6/79 के बीच कुल 6.52 करोड़ मशीनरी पर [illegible] किया गया है । एग्रीमेन्ट और फैक्टरी प्रारम्भ होने की अवधि को दो भागों में बांटा जा सकता है : (1)- एग्रीमेन्ट [illegible]

(2)- [illegible]

[illegible] कोई [illegible] गया है । [illegible] अन्तर्नि‍हित [illegible] तिथि [illegible] विक्रीत सम्पत्ति के मूल्यांकन पर स्टाम्प देयता निर्धारित की जाती है और जो विक्रय के पूर्व क्रेता द्वारा विक्रीत सम्पत्ति में निर्माण आदि का कार्य कराया हो और विक्रय की तिथि को पूर्ण न कराए गए कार्यों को भी मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाएगा । क्रेता कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित और मौखिक बहस में स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि यदि को 'पार्टी' विक्रय से पहले ही टेक ओवर करके उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया है तो उस पर स्टाम्प देयता नहीं बनेगी । अतः मेरी राय में जिस तिथि को फैक्टरी का एग्रीमेन्ट हुआ और जिस तिथि को विक्रय विलेख निष्पादित हुआ, के बीच की अवधि में जो भी व्यय फैक्टरी में हुआ है उसे भी स्टाम्प देयता में जोड़ा जाएगा ।

[illegible] चूंकि एग्रीमेन्ट की तिथि 3/7/78 व फैक्टरी शुरू होने की तिथि 1/6/79 तक कुल 8 1/2 माह का समय लगा और इस 8 1/2 माह में कुल 11.00 करोड़ रुपया मशीनरी पर व्यय होना दर्शाया गया है और मेरे पास ऐसा कोई आधार नहीं है कि इसे दो भागों में विभक्त किया जाय । [illegible] 8 1/2 माह की अवधि में मशीनरी में जो [illegible] अनुमानित [illegible] 8 1/2 माह में अनुमानित -

कीमत 11 x 9/17 के हिसाब से 5,82,35,300/- होता है । अर्थात 19.52 करोड़ + 5,82,35,300/- कुल 25,34,35,300/- होता है जिस पर 8 प्रतिशत की दर से स्टाम्प देयता 2,02,74,824/- अर्थात 2,02,75,000/- होता है जब कि क्रेता कम्पनी द्वारा लेखपत्र में मात्र 52,00,000/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है । इस प्रकार लेखपत्र में 1,50,75,000/- की स्टाम्प कमी प्रदर्शित होती है ।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर क्रेता कम्पनी भारत कोका कोला कम्पनी मेंहदीगंज के विरुद्ध 1,50,75,000/- की स्टाम्प कमी एवं उतनी ही धनराशि अर्थात 1,50,75,000/- कुल धनराशि 3,01,50,000/- । तीन करोड़ एक लाख पचास हजार । आरोपित किया जाता है । साथ ही लेखपत्र के निष्पादन की तिथि से आरोपित धनराशि जमा होने की तिथि तक आरोपित धनराशि पर [illegible] ब्याज भी देय होगा । तद्नुसार उपरोक्त धनराशि क्रेता कम्पनी से जमा कराई जाय । यदि उक्त धनराशि 30 दिन के अन्दर जमा नहीं होती है तो नियमानुसार वसूली हेतु आर०सी० जारी हो । बाद वसूली पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

17.5.03

। जगन्नाथ सिंह ।
अपर जिलाधिकारी। वि० एवं रा०।
वाराणसी ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि० एवं रा०) वाराणसी

(०८) 8

महोदय,

कार्यालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन वाराणसी महोदय के पत्र सं. 266 / आ०लि० ग्रा० सेत्र दिनांक 29 नवम्बर 2004 पर प्रष्ठांकित अपने आदेश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि कोका कोला कम्पनी मेंहदीगंज द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में है। उक्त के सम्बन्ध में महोदय ने दो बिन्दुओं पर आख्या की अपेक्षा की है कि अवैध कब्जे के बावत क्या कार्यवाही की गई और गलत प्रमाण पत्र देने के बावत ग्राम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

(1) चूंकि उक्त भूमि पर कम्पनी का पक्का व स्थायी बिल्डिंग निर्माण है अतः बेदखली हेतु धारा 122 B. ज० वि० अधि० में वाद सं 126 सन 2004 की कार्यवाही की जा रही है। न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर यथाविधि कार्यवाही की जाएगी

(2) ग्राम प्रधान के विरुद्ध मेरे स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं संभव है। रिपोर्ट सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1509

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) छेदन को तहसीलदार, सदर से आख्या सूलक्ष्य में आ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
सदर, वाराणसी
21-12-2004

18/12/04
ना० त०

1833
नायब

18/12/04

(60)

प्रेषक :-

उप जिलाधिकारी,
सदर, वाराणसी ।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
वाराणसी ।

संख्या- 780 /आ0लि0-2004 दिनांक: 20 नवम्बर, 2004

महोदय,

कृपया श्री विमल किशोर खन्ना, अनु सचिव, राजस्व अनुभाग-2 उ0प्र0शासन(लखनऊ) के पत्र संख्या-सी0एम0-79/1-2-2004, दिनांक 12-10-04 पर अपने पृष्ठांकित आदेश दिनांक 25-10-2004 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो ग्राम मेहदीगंज स्थित भारत कोका कोला कम्पनी द्वारा किये गये अवैध कब्जा व निर्माण से सम्बन्धित शिकायत विषयक है । उक्त पत्र के साथ प्रेषित श्री राजनाथपाण्डेय निवासी ग्राम व पो0-मेहदीगंज, राजातालाब, वाराणसी/गाँव बचाओ संघर्ष समिति के शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के क्रम में नायब तहसीलदार, कराबार राजा/तहसीलदार, सदर, वाराणसी से जाँच करायी गयी, जिन्होंने जाँच कर बिन्दुवार आख्या क्रमशः दिनांक 10-11-2004 एवं 16-11-2004 को प्रस्तुत किया गया है, जो मूलरूप में इस पत्र के साथ मय संलग्नक सहित संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है ।

संलग्नक- यथोपरिलिखित ।

भवदीय,

(अविनाश कृष्ण सिंह)
उप जिलाधिकारी, सदर, वाराणसी

महोदय,

श्री विमल किशोर खन्ना, अनुसचिव, उ० प्र० शासन के पत्रांक राजस्व अनुभाग - 2 लखनऊ: दिनांक 12 अक्टूबर 2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि जनपद वाराणसी के ग्राम मेंहदीगंज स्थित करोड़ों की ग्रामसभा भूमि (चकरोड चकनाली) पर भारत कोका कोला कम्पनी द्वारा किए गए अवैध कब्जे व निर्माण की जॉच के संबंध मे है। उपर्युक्त विषयक पत्र श्री रजनाथ पाण्डेय ग्राम एवं पोस्ट मेंहदीगंज, राजातालाब, वाराणसी द्वारा मा० गृह राज्य मंत्री भारत सरकार ~~xxx~~ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, के संबंध में स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा उभयपक्षों से सम्पर्क कर तथ्यों का संज्ञान लिया गया तद्क्रम में आख्या निम्नवत है -

(1) रासायनिक प्रदूषण - इस संबंध मे यद्यपि कि कम्पनी द्वारा संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। किन्तु आमों की बाग मे विगत 3-4 वर्षो से फसल नही लग रही है यह तथ्य सत्य है। जहॉतक भूमि के क्षरण का प्रश्न है वह वर्तमान मे जबसे (2003 के बाद) कम्पनी द्वारा अपना कचरायुक्त पानी ग्राम भिखारीपुर स्थित नाले मे गिराने लगी है नही हो रहा है। इसके पूर्व वर्ष 2003 मे कम्पनी का पानी परिसर के आस-पास फैला था और कृषकों की फसल की प्रत्यक्ष क्षति हुई थी और भूमि की भी क्षति हुई थी जो वर्तमान मे नही हो रही है।

(2) जहरीले कुएं - इस संबंध मे कम्पनी के अधिकारियों के साथ कुओं का निरीक्षण किया गया। कम्पनी के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कुए बरसात के पानी को संकलित कर उसके हार्वेस्टिंग का कार्य उनके माध्यम से किया जाता है।

865
1474

(signature)

तत्संबंध में कम्पनी द्वारा अपना Literature (लिट्रेचर) ... किया गया है। प्रकरण तकनीकी है अत: संबंधित वि.. से भी जाँच उचित होगी।

3- प्राकृतिक जल सम्पदा का दोहन - इस संबंध मे कम्पनी द्वारा भूगर्भ - जल विभाग वाराणसी की रिपोर्ट जो आराजीलाइंस ब्लाक व जनपद के संबंध मे प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार जल स्तर मे निरंतर सुधार दर्शाया गया है। जहाँ तक भू गर्भ जल उपयोग का प्रश्न है के संबंध मे अवगत कराना है इसे संबंध मे कम्पनी जल-कर भुगतान करती है।

4- करोड़ो की स्टाम्प चोरी - इस संबंध मे जाँचोपरान्त -3 करोड़ छः लाख पचास हजार रुपए कर निर्धारण अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व वाराणसी महोदय द्वारा किया गया था, जिसमे कम्पनी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय मे रिट याचिका प्रस्तुत की और मा० न्यायालय के आदेश के क्रम, 1करोड़ पचास हजार रुपया जमा किया गया है शेष के संबंध मे वाद न्यायालय मे विचाराधीन है।

5- करोड़ो की ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा -

इस संबंध मे स्पष्ट करना है कि कम्पनी का स्वामित्व जब मूल स्वामी केजरीवाल के पास था जिन्होने भूमि क्रय करके कम्पनी का निर्माण कराया था के क्रय की गई भूमि के संबंध मे $\frac{2634}{0.089}$ व $\frac{2636}{0.014}$ हे० $\frac{2641}{0.008}$ हे० चकमार्ग तथा $\frac{2464 \text{ मि}}{0.010}$ नाली के खाते मे दर्ज था। जिस पर केजरीवाल द्वारा कम्पनी का निर्माण अवैध कब्जा किया गया। तत्कालीन मंत्री मा० रंगनाथ मिश्र द्वारा विधान सभा मे किए गए प्रश्न के उपरान्त कार्यवाही करते हुए कम्पनी मालिक केजरीवाल के विरुद्ध वर्ष 1994 मे थाना मिर्जामुराद वाराणसी मे प्राथमिकी धारा 441 ज० वि० अधि० के तहत दर्ज कराई गई। पुन: प्रार्थी केजरीवाल के विरुद्ध अवैध कब्जे के प्रश्न

[signature]

(3) (58) (3)

पर मू० राजस्व अधि० की धारा 122 B के तहत वाद न्यायालय अपर तहसीलदार महोदय के दर्ज किया गया। प्रार्थी / कम्पनीमालिक केजरीवाल के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 161 मू० रा० अधि० पर कार्यवाही करते हुए नाली व चकमार्ग की भूमि जैसा कि संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है दर्ज कर लिया गया। ~~तत्समय ग्राम प्रधान~~ उक्त नाली व चकमार्ग के बदले में प्राप्त आ० नं० 2634 कि / 0.008 रकबे से अवशेष 2632 मि / 0.020 व 2633 मि० / 0.016 व 2635 मि० / 0.020 हे० 2461 ख मि / 0.065 ~~कुल~~ हेक्टेयर भूमि जो ग्राम सभा को प्राप्त हुई पर सेमी कम्पनी ने अपना कब्जा नही हटाया जो आज भी बरकरार है। ग्राम प्रधान ने अन्यथा लाभ लेकर एक प्रमाण पत्र इस आशय का निर्गत किया कि ग्राम सभा को कब्जा प्राप्त हो गया। इस संबंध मे रपट मे कई बार आख्याए प्रेषित की जा चुकी है।

6- प्रकाश व ध्वनि प्रदूषण - इस संबंध मे प्रदूषण विभाग द्वारा कम्पनी को प्रमाणक निर्गत है जो संलग्न है। उचित होगा कि उनसे आख्या प्राप्त कर ली जाय।

7- जातीय आधार पर मजदूरों की छंटनी - कम्पनी मे काम ठेकेदारी के आधार पर कराया जाता है जिसके संबंध मे वह अनुज्ञा प्राप्त कर रखा है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध शिकायत के लिए उपस्थित नही हुआ।

रिपोर्ट अवलोकनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा मे प्रेषित।

ह० [illegible]
रा०नि० [illegible]
10/11/04

तहसीलदार /
[illegible]
16/11/04
(Tahsil).

57

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2635 [illegible]

[illegible] 2632 [illegible]

2633 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[signature] [illegible]